Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **महिला पुलिस थाना भरतपुर की आकस्मिक चैकिंग में थानाधिकारी के रीडर के कार्यालय कक्ष की आलमारी से 4 लाख 54 हजार 700 रुपये की संदिग्ध नकद राशि बरामद**
- **थानाधिकारी के सरकारी आवास की तलाशी में भी 1 लाख 17 हजार रुपये बरामद**

जयपुर, *12 नवम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई द्वारा आज एक गोपनीय सूत्र–सूचना पर महिला थाना भरतपुर में आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करते हुये **थानाधिकारी महिला पुलिस थाना, भरतपुर के रीडर जयसिंह कानिस्टेबल पुलिस थाना महिला, भरतपुर** के पास **4 लाख 54 हजार 700 रुपये** की संदिग्ध नगद राशि बरामद की है। कार्यवाही के दौरान **भंवर सिंह थानाधिकारी** के सरकारी आवास की तलाशी में भी **1 लाख 17 हजार रुपये** की संदिग्ध राशि बरामद हुई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एक गोपनीय सूत्र–सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि महिला पुलिस थाना, भरतपुर के भंवर सिंह उपनिरीक्षक, थानाधिकारी एवं उसके रीडर जयसिंह कानिस्टेबल द्वारा अनुसंधान में भ्रष्टाचार किया जाकर मोटी रकम रिश्वत के रूप में वसूल की गई है, जो उनके कार्यालय की आलमारी में रखी हुई है।

जिस पर एसीबी जयपुर–चतुर्थ के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह** के नेतृत्व में सूत्र–सूचना को विकसित किया जाकर पुलिस थाना महिला, भरतपुर पर आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान थाना परिसर स्थित थानाधिकारी के रीडर कक्ष में आलमारी की तलाशी में विभिन्न अनुसंधानाधीन फाइलों के साथ रखे 15 लिफाफों में **4 लाख 54 हजार 700 रुपये** की संदिग्ध नगद राशि बरामद हुई है। साथ ही कार्यवाही के दौरान आरोपी भंवर सिंह थानाधिकारी के सरकारी आवास की तलाशी में भी **1 लाख 17 हजार रुपये** की संदिग्ध राशि बरामद हुई है। उक्त संदिग्ध राशि के संबंध में आरोपीगण से पूछताछ करने पर वे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये, जिस पर उक्त संदिग्ध नगद राशि को कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।